Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 13/2022

Ranju Kumari @ Ranju Devi.....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors.....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	11.04.2023	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद न्यायालय समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–305/15 में दिनांक–11.02.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदिका को सुना। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत धरहन टोला–रहिका आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–78 पर सेविका चयन हेतु प्रकाशित कुल 04 अभ्यर्थियों ने आवेदन समर्पित किया। दिनांक–06.02.2007 को आयोजित आम सभा में आवेदन की जाँचोपरांत 04 अभ्यर्थियों में 02 को अयोग्य घोषित किया गया तथा शेष बचे अभ्यर्थी में प्रथम स्थान पर आवेदिका रंजू कुमारी तथा द्वितीय स्थान पर विपक्षी सुभद्रा देवी थी। सुभद्रा देवी का अंक प्रतिशत कम रहने, सहायिका पद पर चयनित मीरा देवी की सहोदर बहन रहने तथा सुभद्रा देवी संबंधित वार्ड नं0–08 की निर्वाचित सदस्य एवं चयन समिति की पदेन सदस्य होने के बावजूद भी इनका चयन अवैध तरीके से कर लिया गया। यह भी उल्लेख करना है कि आम सभा के उपस्थिति पंजी में चयन समिति के उपस्थिति पंजी में भी इनका हस्ताक्षर अंकित पाया गया। इनका कहना है कि उक्त चयन से दुखी होकर आवेदिका रंजू कुमारी द्वारा तात्कालीन जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में आपत्ति आवेदन समर्पित किया गया, जिस आवेदन के आलोक में गलत रूप से चयनित अभयर्थी सुभद्रा देवी को प्रशिक्षण में नहीं भेजकर वैध अभ्यर्थी रंजू कुमारी को प्रशिक्षण में भेज दिया गया, जिसका प्रमाण पत्र 248/08, दिनांक–11.08.2008 है। उक्त आदेश से व्यथित होकर सुभद्रा देवी द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया गया, जिसमें	

Web Copy. Not Official.

	लगातार 11.04.2023	नियमावली के विरूद्ध उनके पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया। इस क्रमशः आदेश के विरूद्ध आवेदिका रंजु कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1490/2009 दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–01.07.2011 को आदेश पारित करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर करने का निदेश दिया गया। विद्वान प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 के अपील में अपील वाद सं0–46/2011 पर सुनवाई करते हुए दिनांक–16.11.2011 को आदेश पारित करते हुए कुछ निर्देश के साथ जिला पदाधिकारी, कटिहार को वाद को विप्रेषित कर दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार द्वारा उक्त आदेश के आलोक में अभिलेख सं0–01/2014 संधारित करते हुए सुनवाई किया गया तथा दिनांक–06.12.2014 को आदेश पारित कर चयनित अभ्यर्थी सुभद्रा देवी का चयन रद्द तो कर दिया गया, परन्तु आवेदिका के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं किया गया। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर आवेदिका द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में अपील वाद सं0–305/2015 दायर किया गया। जिसमें जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–11.02.2022 को आदेश पारित करते हुए अपील वाद को अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार आवेदिका द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि के दृष्टि से पोषणीय नहीं है। दिनांक–06.02.2007 को आयोजित आम सभा में आवेदिका मेधा सूची के प्रथम स्थान पर थी। वह दिनांक–11.08.2008 को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैध बताते हुए पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा ज्ञापांक–1113, दिनांक–14.09.2022 द्वारा मंतव्य समर्पित करते हुए दर्शाया गया है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–78 के लिए सेविका/सहायिका चयन हेतु दिनांक–06.02.2007 को आयोजित आम सभा में चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी। फलस्वरूप विपक्षी सुभद्रा देवी की चयन को निरस्त किया गया है। चुकि बाद में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्राणपुर	

Web Copy. Not Official.

		द्वारा दिनांक–30.06.2007 को बिना आम सभा बुलाये अपीलार्थी का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का चयन भी विभागीय मार्गदर्शिका 2006 में वर्णित नियमों का स्पष्ट	
		क्रमशः	
	लगातार 11.04.2023	उल्लंघन था। फलस्वरूप विधिवत सुनवाई के पश्चात अपीलार्थी का चयन भी रद्द कर दिया गया है। वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2011 एवं 2016 में विभागीय मार्गदर्शिका में संशोधित किया गया है। वर्त्तमान में विभागीय मार्गदर्शिका 2016 लागू है। वर्ष 2006 के विभागीय मार्गदर्शिका के आलोक में अपीलार्थी एवं विपक्षी के चयन को सही नहीं पाया गया है एवं दोनों के चयन को निरस्त किया गया है जो नियमसंगत है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के पारित आदेश का समर्थन किया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वर्ष 2006 के सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं विपक्षी के चयन को सही नहीं पाते हुए रद्द किया गया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। साथ ही सक्षम पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पर नये सिरे से चयन की प्रक्रिया अपनाते हुए मार्गदर्शिका के आलोक में चयन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.